Section 72 : Officers to assist proper officers

(1) All officers of Police, Railways, Customs, and those officers engaged in the collection of land revenue, including village officers, officers of State tax and officers of Union territory tax shall assist the proper officers in the implementation of this Act.

(2) The Government may, by notification, empower and require any other class of officers to assist the proper officers in the implementation of this Act when called upon to do so by the Commissioner.

धारा 72 : समुचित अधिकारियों की सहायता के लिए अधिकारी

(1) पुलिस, रेल, सीमाशुल्क और भू–राजस्व के संग्रहण में लगे हुए अधिकारी, जिनके अंतर्गत ग्रामीण अधिकारी, राज्य कर के अधिकारी और संघ राज्यक्षेत्र कर के अधिकारी भी हों, इस अधिनियम के कार्यान्वयन में समुचित अधिकारियों की सहायता करेंगे।

(2) सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए समुचित अधिकारियों की सहायता करने के लिए, जब ऐसा करने के लिए आयुक्त द्वारा कहा जाए, अधिकारियों के किसी वर्ग को सशक्त कर सकेगी और उनसे ऐसी सहायता करने की अपेक्षा कर सकेगी।